कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Labour & Employment, Govt. of India
क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर , छत्तीसगढ़
Regional Office,Raipur,CHHATTISGARH
ब्लॉक-डी, स्कीम-32, इन्दिरा गांधी व्यावसायिक परिसर, पंडरी, रायपुर (छ.ग.) - 492004
Block 'D' Scheme No.32, I.G. V. Parisar, Pandri, RAIPUR (C.G) – 492004
Telefax/टेलिफैक्स-0771-2583892/97 Email/ईमेल ro.raipur@epfindia.gov.in Website/वेबसाइट www.epforaipur.gov.in

क्र. कभनि/क्षेका/रायपुर/छग/प्रशा./मि.सं.309/ 1595-A   दिनांक: 14.02.2018

निविदा आमंत्रण सूचना

टेण्डर निविदा क्र. 2017-18/10
विषय - वर्ष 2018-19 के लिए हाउस कीपिंग स्टाफ बाबत् ।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, ब्लॉक डी, स्कीम नं.32, इंदिरा गांधी व्यवसायिक परिसर, पंडरी, रायपुर (छ.ग.) में संविदा आधार पर हाउस कीपिंग स्टॉफ प्रदान किये जाने हेतु बंद मुहर निविदा आमंत्रित करने के संबंध में ।

कार्य का नाम	आवश्यकता		ईएमडी	सुरक्षा निधि
कभनिसं क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर (छ.ग.) में सुरक्षा गार्ड एवं हाउस कीपिंग स्टॉफ प्रदान किए जाने हेतु	हाउस कीपिंग स्टॉफ(सफाईवाला, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, माली) क्षे.का.रायपुर → जि.का.बिलासपुर →	 20 01	रू. 10000/-	कुल वार्षिक वेतन का 10% (रू. 500000/-)

हाउस कीपिंग स्टॉफ के लिए प्रस्तुत कोटेशन के लिफाफे के ऊपर "हाउस कीपिंग कर्मचारियों हेतु संविदा" स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए ।

निविदा दस्तावेज केयर टेकर से दिनांक 19.02.2018 से प्रातः 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक किसी भी दिन क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, रायपुर को देय 100/- रूपये के डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से प्राप्त किये जा सकते है अथवा कार्यालय का वेबसाईट www.epforaipur.gov.in से डाउनलोड किए जा सकते है तथा 100/- रूपये के डिमांड ड्राफ्ट उपरोक्तानुसार कोटेशन के साथ संलग्न प्रेषित करें ।

निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि - दिनांक 12.03.2018 अपराह्न 2.00 बजे
निविदा खोलने का दिनांक एवं समय - दिनांक 13.03.2018 सायं 4.00 बजे

(कांता देवी मोटवानी)
सहायक भ.नि. आयुक्त (प्रशासन)
क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर, छ.ग.

निविदा की सामान्य सेवा एवं शर्ते -

1. यह कार्यालय हाउस कीपिंग कर्मचारियों को संविदा के आधार पर रखने का उच्छुक है । प्रारम्भिक तौर पर संविदा अवधि एक वर्ष की होगी तथापि सम्पन्न सेवा संतोषप्रद पाये जाने पर अगले एक वर्ष के लिए विस्तार हेतु क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर, ब्लॉक डी, स्कीम नं.32, इंदिरा गांधी व्यवसायिक परिसर, पंडरी, रायपुर, छत्तीसगढ़ के विवेकाधिकार पर पूर्णतः निर्भर करता है ।
2. हाउस कीपिंग कर्मचारियों के तैनाती भविष्य निधि भवन, पंडरी, रायपुर में की जाएगी ।
3. मुहर बंद निविदा क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को संबोधित की जानी चाहिए जो पंजीकृत डाक अथवा हस्तगत रूप से दिनांक .03.2018 के अपरान्ह 2.00 बजे तक या उसके पूर्व प्राप्त होनी चाहिए । लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से "हाउस कीपिंग कर्मचारियों हेतु संविदा" अंकित होनी चाहिए ।
4. निविदा कार्यालय परिसर में दिनांक .03.2018 को निविदाकर्ता अथवा उनके प्रतिनिधि (निविदाकर्ता द्वारा प्राधिकृत पत्र साथ लाये) जो निविदा खोले जाने के समय उपस्थित रहना चाहे, के समक्ष अपराह्न 4.00 बजे खोली जाएगी ।
5. सुरक्षा निधि का विवरण निम्नानुसार है -

   ईएमडी - रूपये 10,000/-

   सुरक्षा निधि - कुल अनुमानित वार्षिक वेतन राशि रू. 5000000/- होता है जिसका 10% राशि रू. 500000/- अनुबंध के पश्चात जमा करना अनिवार्य है ।

   सफल निविदाकर्ता के संदर्भ में ईएमडी की राशि रूपये 10,000/- सुरक्षा जमा निधि के रूप में समायोजित की जाएगी ।
6. हाउस कीपिंग कर्मचारियों की व्यवस्था करने वाले अभिकरण/संस्थान का EPF & ESIC तथा अन्य श्रम विभागों में पंजीकृत होना आवश्यक है जिसके द्वारा नियमानुसार कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम का लाभ प्रदान किया जाना अनिवार्य है ।
7. प्रत्येक माह की 05 तारीख तक हाउस कीपिंग कर्मचारियों को मजदूरी/वेतन का भुगतान किया जाना अनिवार्य है एवं उसके पश्चात मजदूरी के भुगतान के दस्तावेजी साक्ष्य सहित बिल इस कार्यालय में प्रस्तुत किए जाए ।
8. निविदा के साथ जमा की जाने वाली अग्रिम धनराशि का डिमांड ड्राफ्ट **क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर (Regional P.F. Commissioner, R.O., Raipur)** के पक्ष में होना चाहिए । निविदा दस्तावेज के साथ डिमांड ड्राफ्ट की मूल प्रति अनिवार्यतः संलग्न की जानी चाहिए जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा तथा जो निविदा के पूर्ण निष्पादन के समय असफल निविदाकर्ताओं को वापस लौटा दी जाएगी । सफल निविदाकर्ताओं को निष्पादन सुरक्षा निधि डिमांड ड्राफ्ट/मियादी जमा रसीद /व्यवसायिक बैंक की बैंक प्रतिभूति जो क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, रायपुर को देय हों, जमा करनी अनिवार्य होगी ।
9. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर जब भी आवश्यक हो सुरक्षा जमा निधि में वृद्धि करने का अधिकार सुरक्षित रखता है ।
10. सफल संविदाकर्ता को सूचना प्राप्त होने पर एक सप्ताह के भीतर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के साथ एक अनुबंध करना होगा तथा उसी दौरान सुरक्षा निधि जमा करनी होगी ।
11. ईएमडी/सुरक्षा निधि की जब्ती -
    - i. यदि सफल निविदाकर्ता अनुबंध करने से इनकार करते है अथवा निविदा स्वीकार करने के 07 दिनों की अवधि के अंदर सुरक्षा निधि जमा करने में असफल रहता है तो इस दशा में ईएमडी की राशि जब्त कर ली जाएगी ।
    - ii. यदि अनुमोदित निविदाकर्ता करार छोड़ता है तो इस दशा में सुरक्षा निधि जब्त कर ली जाएगी ।
    - iii. यदि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा निम्न स्तरीय निष्पादन/अनुबंध के किसी उपबंध से विचलन अथवा निविदाकर्ता के किसी गलत कृत्य के कारण निरस्त करता है तो इस दशा में सुरक्षा जमा निधि जब्त कर ली जाएगी ।
12. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ बिना कोई कारण बताए किसी भी समय 07 दिनों की नोटिस देकर अनुबंध के निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है ।
13. निविदाकर्ता द्वारा निविदा प्रस्तुत करने पर यह माना जाएगा कि उसे नियत सेवा/शर्ते स्वीकार्य है । निविदाकर्ता द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य निष्पादन में असफल रहने पर अथवा कार्य आवंटन

15. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर के पास बिना कारण बताए किसी निविदा को स्वीकार अथवा निरस्त या वापस लेने का अधिकार सुरक्षित होगा ।
16. लिखित मांग पत्र प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर निविदाकर्ता को सेवा प्रदान करने हेतु समुचित संख्या में हाउस कीपिंग कर्मचारी उपलब्ध कराना होगा ।
17. निविदाकर्ता द्वारा बिना किसी व्यवधान के 24 घंटे संतोषप्रद एवं उपयुक्त हाउस कीपिंग कर्मचारी उपलब्ध कराने होंगे ।
18. निविदाकर्ता द्वारा शारीरिक रूप से सक्षम, क्रियाशील, चौकस कर्मी उपलब्ध कराए जाने चाहिए -
    - जिन्हे अग्नि शमन एवं प्रथम उपचार की प्राथमिक जानकारी हो ।
    - हिन्दी एवं अंग्रेजी पढ़ने एवं लिखने में सक्षम हो ।
    - टेलीफोन उपकरण, पानी के पम्प, विद्युत उपकरण, जनरेटर चलाने की योग्यता रखते हों ।
19. निविदाकर्ता द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन हेतु नियुक्त किए गए कर्मचारियों के संदर्भ में समस्त केन्द्रीय एवं राज्य श्रम कानून का अनुपालन किया जाना चाहिए ।
20. निविदाकर्ता द्वारा समय-समय पर सरकार द्वारा जारी प्रासंगिक परिपत्र के अनुसार न्युनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना आपेक्षित है । यह भी उल्लेख किया जाता है कि पारदर्शिता के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए तथा श्रम मंत्रालय छ.ग. शासन के नवीनतम अनुदेशों का पालन करते हुए कर्मचारी को मजदूरी का भुगतान उनके संबंधित बैंक खाते में किया जाना चाहिए ।
21. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन निविदाकर्ता द्वारा की गई किसी भी चूक की दशा में सांविधिक देयों की कटौती निविदाकर्ता के बिल राशि से करने का अधिकार सुरक्षित रखता है ।
22. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन बिना कोई कारण बताए हाउस कीपिंग कर्मचारी, जिसका कार्य संतोषप्रद नहीं पाया जाता है, उसे बदलने अथवा हटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है तथा कार्यालय को हुई किसी भी क्षति की वसूली अभिकरण से की जाएगी ।

मैं उपरोक्त वर्णित समस्त सेवा शर्तों को स्वीकार करता हूँ ।

नाम ....

निविदाकर्ता के मुहर एवं हस्ताक्षर

सीलबंद निविदा दिनांक 13.03.2018 को अपराह्न 4.00 बजे खोली जायेगी, इच्छुक पार्टियाँ अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से निविदा खोलने के समय उपस्थित हो सकते है ।

(कांता देवी मोटवानी)
सहायक भ.नि. आयुक्त (प्रशासन)
क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर, छ.ग.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
क्षेत्रीय कार्यालय – छत्तीसगढ़
ब्लाक – डी स्कीम नं. – 32
इंदिरा गांधी व्यवसायिक परिसर,
देवेन्द्र नगर, पण्डरी, रायपुर (छ.ग.)

अनुलग्नक – 1

सुरक्षा गार्ड/हाउस कीपिंग कर्मचारी उपलब्ध कराने हेतु निविदा प्रपत्र -

(सुरक्षा गार्ड/हाउस कीपिंग कर्मचारियों के लिए पृथक आवेदन करें)

1. निविदा का मूल्य - रूपये 100/-
2. निविदा की नियत तिथि - दिनांक 12.03.2018 अपरान्ह 2.00 बजे
3. निविदा खुलने का समय एवं दिनांक - दिनांक 13.03.2018 अपरान्ह 4.00 बजे
4. फर्म/एजेंसी का नाम, पता एवं टेलिफोन क्रमांक - ....
   ....
5. फर्म/एजेंसी का पंजीयन क्रमांक - ....
6. फर्म/एजेंसी के प्राधिकृत अधिकारी का नाम, पद, पता, टेलिफोन क्रमांक जिसके साथ निविदा किया जाना हो - ....
   ....
   ....
7. कृपया स्पष्ट करें कि निविदाकर्ता फर्म का स्वामित्वधारी है अथवा सहभागी है - ....
   ....
8. पैन कार्ड की प्रतिलिपि एवं पिछले वित्त वर्ष में दिखाये गए आयकर रिटर्न की प्रतिलिपि - ....
   ....
9. कर्मचारी भविष्य निधि संकेत क्रमांक - ....
10. कर्मचारी राज्य बीमा योजना का संकेत क्रमांक - ....
11. संविदा श्रम के अंतर्गत लाईसेंस क्रमांक (आर. एवं ए.) अधिनियम - ....
    ....
12. जमा की गई ईएमडी का विवरण -
    - i. राशि - ....
    - ii. एफडीआर नं या डीडी नं या बैंक गारंटी .... के पक्ष में देय ।
    - iii. DD जारी करने का दिनांक - ....
    - iv. जारीकर्ता का नाम - ....
13. अनुभव एवं दस्तावेजी साक्ष्य - ....
14. अन्य कोई जानकारी - ....
15. निविदाकर्ता की घोषणा - ....

    मैं/हम यह प्रमाणित करता/करते है कि इस निविदा को हस्ताक्षर करने के पूर्व इसके नियम एवं शर्तों को भलीभांती पढ़कर एवं समझकर उसे पालन करने को प्रतिबद्ध हैं ।

(निविदाकर्ता का हस्ताक्षर)
नाम एवं पता
(मोहर के साथ)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Labour & Employment, Govt. of India
क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर , छत्तीसगढ़
Regional Office,Raipur,CHHATTISGARH
ब्लॉक-डी, स्कीम-32, इन्दिरा गांधी व्यावसायिक परिसर, पंडरी, रायपुर (छ.ग.) - 492004
Block 'D' Scheme No.32, I.G. V. Parisar, Pandri, RAIPUR (C.G) – 492004
Telefax/टेलिफैक्स-0771-2583892/97 **Email/ईमेल** ro.raipur@epfindia.gov.in **Website/वेबसाइट www.epforaipur.gov.in**

क्र. कभनि/क्षेका/रायपुर/छग/प्रशा./मि.सं.309/ 1595-B

दिनांक: 14.02.2018

निविदा आमंत्रण सूचना

टेण्डर निविदा क्र. 2017-18/10

विषय - वर्ष 2018-19 के लिए सुरक्षा गार्ड स्टाफ बाबत् ।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, ब्लॉक डी, स्कीम नं.32, इंदिरा गांधी व्यवसायिक परिसर, पंडरी, रायपुर (छ.ग.) में संविदा आधार पर सुरक्षा गार्ड स्टॉफ प्रदान किये जाने हेतु बंद मुहर निविदा आमंत्रित करने के संबंध में ।

कार्य का नाम	आवश्यकता			ईएमडी	सुरक्षा निधि
कभनिसं क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर (छ.ग.) में सुरक्षा गार्ड एवं हाउस कीपिंग स्टॉफ प्रदान किए जाने हेतु	सुरक्षा गार्ड क्षे.का.रायपुर जि.का.बिलासपुर	 → →	 05 01	रू. 10,000/-	कुल वार्षिक वेतन का 10% (रू. 213600/-)

सुरक्षा गार्ड स्टॉफ के लिए प्रस्तुत कोटेशन के लिफाफे के ऊपर "सुरक्षा गार्ड कर्मचारियों हेतु संविदा" स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए ।

निविदा दस्तावेज केयर टेकर से दिनांक 19.02.2018 से प्रातः 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक किसी भी दिन क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, रायपुर को देय 100/- रूपये के डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से प्राप्त किये जा सकते है अथवा कार्यालय का वेबसाईट www.epforaipur.gov.in से डाउनलोड किए जा सकते है तथा 100/- रूपये के डिमांड ड्राफ्ट उपरोक्तानुसार कोटेशन के साथ संलग्न प्रेषित करें ।

निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि - दिनांक 12.03.2018 अपराह्न 2.00 बजे
निविदा खोलने का दिनांक एवं समय - दिनांक 13.03.2018 सायं 4.00 बजे

(कांता देवी मोटवानी)
सहायक भ.नि. आयुक्त (प्रशासन)
क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर, छ.ग.

निविदा की सामान्य सेवा एवं शर्ते -

1. यह कार्यालय सुरक्षा गार्ड कर्मचारियों को संविदा के आधार पर रखने का उच्छुक है । प्रारम्भिक तौर पर संविदा अवधि एक वर्ष की होगी तथापि सम्पन्न सेवा संतोषप्रद पाये जाने पर अगले एक वर्ष के लिए विस्तार हेतु क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर, ब्लॉक डी, स्कीम नं.32, इंदिरा गांधी व्यवसायिक परिसर, पंडरी, रायपुर, छत्तीसगढ़ के विवेकाधिकार पर पूर्णतः निर्भर करता है ।
2. सुरक्षा गार्ड कर्मचारियों के तैनाती भविष्य निधि भवन, पंडरी, रायपुर एवं 1 गार्ड जिला कार्यालय, बिलासपुर में की जाएगी ।
3. मुहर बंद निविदा क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को संबोधित की जानी चाहिए जो पंजीकृत डाक अथवा हस्तगत रूप से दिनांक .03.2018 के अपरान्ह 2.00 बजे तक या उसके पूर्व प्राप्त होनी चाहिए । लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से "सुरक्षा गार्ड कर्मचारियों हेतु संविदा" अंकित होनी चाहिए ।
4. निविदा कार्यालय परिसर में दिनांक .03.2018 को निविदाकर्ता अथवा उनके प्रतिनिधि (निविदाकर्ता द्वारा प्राधिकृत पत्र साथ लाये) जो निविदा खोले जाने के समय उपस्थित रहना चाहे, के समक्ष अपराह्न 4.00 बजे खोली जाएगी ।
5. सुरक्षा निधि का विवरण निम्नानुसार है -
    - i. ईएमडी - रूपये 10,000/-
    - ii. सुरक्षा निधि - कुल अनुमानित वार्षिक वेतन राशि रू. 2136000/- होता है जिसका 10% राशि रू. 213600/- अनुबंध के पश्चात जमा करना अनिवार्य है ।

   b. सफल निविदाकर्ता के संदर्भ में ईएमडी की राशि रूपये 10,000/- सुरक्षा जमा निधि के रूप में समायोजित की जाएगी ।
6. सुरक्षा गार्ड कर्मचारियों की व्यवस्था करने वाले अभिकरण/संस्थान का EPF & ESIC तथा अन्य श्रम विभागों में पंजीकृत होना आवश्यक है जिसके द्वारा नियमानुसार कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम का लाभ प्रदान किया जाना अनिवार्य है ।
7. प्रत्येक माह की 05 तारीख तक सुरक्षा गार्ड कर्मचारियों को मजदूरी/वेतन का भुगतान किया जाना अनिवार्य है एवं उसके पश्चात मजदूरी के भुगतान के दस्तावेजी साक्ष्य सहित बिल इस कार्यालय में प्रस्तुत किए जाए ।
8. निविदा के साथ जमा की जाने वाली अग्रिम धनराशि का डिमांड ड्राफ्ट **क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर (Regional P.F. Commissioner, R.O., Raipur)** के पक्ष में होना चाहिए । निविदा दस्तावेज के साथ डिमांड ड्राफ्ट की मूल प्रति अनिवार्यतः संलग्न की जानी चाहिए जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा तथा जो निविदा के पूर्ण निष्पादन के समय असफल निविदाकर्ताओं को वापस लौटा दी जाएगी । सफल निविदाकर्ताओं को निष्पादन सुरक्षा निधि डिमांड ड्राफ्ट/मियादी जमा रसीद /व्यवसायिक बैंक की बैंक प्रतिभूति जो क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, रायपुर को देय हों, जमा करनी अनिवार्य होगी ।
9. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर जब भी आवश्यक हो सुरक्षा जमा निधि में वृद्धि करने का अधिकार सुरक्षित रखता है ।
10. सफल संविदाकर्ता को सूचना प्राप्त होने पर एक सप्ताह के भीतर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के साथ एक अनुबंध करना होगा तथा उसी दौरान सुरक्षा निधि जमा करनी होगी ।
11. ईएमडी/सुरक्षा निधि की जब्ती -
    - a. यदि सफल निविदाकर्ता अनुबंध करने से इनकार करते है अथवा निविदा स्वीकार करने के 07 दिनों की अवधि के अंदर सुरक्षा निधि जमा करने में असफल रहता है तो इस दशा में ईएमडी की राशि जब्त कर ली जाएगी ।
    - b. यदि अनुमोदित निविदाकर्ता करार छोड़ता है तो इस दशा में सुरक्षा निधि जब्त कर ली जाएगी ।
    - c. यदि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा निम्न स्तरीय निष्पादन/अनुबंध के किसी उपबंध से विचलन अथवा निविदाकर्ता के किसी गलत कृत्य के कारण निरस्त करता है तो इस दशा में सुरक्षा जमा निधि जब्त कर ली जाएगी ।
12. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ बिना कोई कारण बताए किसी भी

15. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर के पास बिना कारण बताए किसी निविदा को स्वीकार अथवा निरस्त या वापस लेने का अधिकार सुरक्षित होगा ।
16. लिखित मांग पत्र प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर निविदाकर्ता को सेवा प्रदान करने हेतु समुचित संख्या में सुरक्षा गार्ड कर्मचारी उपलब्ध कराना होगा ।
17. निविदाकर्ता द्वारा बिना किसी व्यवधान के 24 घंटे संतोषप्रद एवं उपयुक्त सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराने होंगे, तथापि सुरक्षा कर्मियों की 08 घंटे की सेवा के उपरांत अगले सुरक्षा कर्मी के कार्य ग्रहण करने पर प्रभार मुक्त किया जा सकेगा ।
18. निविदाकर्ता द्वारा शारीरिक रूप से सक्षम, क्रियाशील, चौकस कर्मी उपलब्ध कराए जाने चाहिए -
19. जिन्हे अग्नि शमन एवं प्रथम उपचार की प्राथमिक जानकारी हो ।
20. हिन्दी एवं अंग्रेजी पढ़ने एवं लिखने में सक्षम हो ।
21. टेलीफोन उपकरण, पानी के पम्प, विद्युत उपकरण, जनरेटर चलाने की योग्यता रखते हों ।
22. निविदाकर्ता अपने व्यय से सुरक्षा कर्मियों को यूनिफार्म, जूते-मोजे, बिल्ले, रेनकोट, रात्रि गश्त के लिए टॉर्च की व्यवस्था स्वयं कराई जानी चाहिए ।
23. निविदाकर्ता द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन हेतु नियुक्त किए गए कर्मचारियों के संदर्भ में समस्त केन्द्रीय एवं राज्य श्रम कानून का अनुपालन किया जाना चाहिए ।
24. निविदाकर्ता द्वारा समय-समय पर सरकार द्वारा जारी प्रासंगिक परिपत्र के अनुसार न्युनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना आपेक्षित है । यह भी उल्लेख किया जाता है कि पारदर्शिता के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए तथा श्रम मंत्रालय छ.ग. शासन के नवीनतम अनुदेशों का पालन करते हुए कर्मचारी को मजदूरी का भुगतान उनके संबंधित बैंक खाते में किया जाना चाहिए ।
25. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन निविदाकर्ता द्वारा की गई किसी भी चूक की दशा में सांविधिक देयों की कटौती निविदाकर्ता के बिल राशि से करने का अधिकार सुरक्षित रखता है ।
26. निविदाकर्ता यह भी सुनिश्चित करेगा कि उपलब्ध कराए गए सुरक्षा गार्ड अपने कर्तव्य निष्पादन की अवधि में पूर्ण रूप से अनुशासित रहेंगे तथा मर्यादा का पालन करेंगें और वें परिसर में किसी वैयक्तिक आगंतुकों से नहीं मिलेंगे और ना ही मद्यपान अथवा अन्य निषेधित मादक पदार्थों का सेवन करेंगे ।
27. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन बिना कोई कारण बताए सुरक्षा गार्ड कर्मचारी, जिसका कार्य संतोषप्रद नहीं पाया जाता है, उसे बदलने अथवा हटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है तथा कार्यालय को हुई किसी भी क्षति की वसूली अभिकरण से की जाएगी ।

मैं उपरोक्त वर्णित समस्त सेवा शर्तों को स्वीकार करता हूँ ।

नाम ....

निविदाकर्ता के मुहर एवं हस्ताक्षर

सीलबंद निविदा दिनांक 13.03.2018 को अपराहन 4.00 बजे खोली जायेगी, इच्छुक पार्टियाँ अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से निविदा खोलने के समय उपस्थित हो सकते है ।

(कांता देवी मोटवानी)
सहायक भ.नि. आयुक्त (प्रशासन)
क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर, छ.ग.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़
ब्लाक – 'डी' स्कीम नं. – 32
इंदिरा गांधी व्यवसायिक परिसर,
देवेन्द्र नगर, पंडरी, रायपुर (छ.ग.)

सुरक्षा गार्ड/हाउस कीपिंग कर्मचारी उपलब्ध कराने हेतु निविदा प्रपत्र -
(सुरक्षा गार्ड/हाउस कीपिंग कर्मचारियों के लिए पृथक आवेदन करें)

1. निविदा का मूल्य - रूपये 100/-
2. निविदा की नियत तिथि - दिनांक 12.03.2018 अपरान्ह 2.00 बजे
3. निविदा खुलने का समय एवं दिनांक - दिनांक 13.03.2018 अपरान्ह 4.00 बजे
4. फर्म/एजेंसी का नाम, पता एवं टेलिफोन क्रमांक - ....
....
5. फर्म/एजेंसी का पंजीयन क्रमांक - ....
6. फर्म/एजेंसी के प्राधिकृत अधिकारी का नाम, पद, पता, टेलिफोन क्रमांक जिसके साथ निविदा किया जाना हो - ....
7. कृपया स्पष्ट करें कि निविदाकर्ता फर्म का स्वामित्वधारी है अथवा सहभागी है - ....
8. पैन कार्ड की प्रतिलिपि एवं पिछले वित्त वर्ष में दिखाये गए आयकर रिटर्न की प्रतिलिपि - ....
9. कर्मचारी भविष्य निधि संकेत क्रमांक - ....
10. कर्मचारी राज्य बीमा योजना का संकेत क्रमांक - ....
11. संविदा श्रम के अंतर्गत लाईसेंस क्रमांक (आर. एवं ए.) अधिनियम - ....
12. जमा की गई ईएमडी का विवरण -
    - i. राशि - ....
    - ii. एफडीआर नं या डीडी नं या बैंक गारंटी .... के पक्ष में देय ।
    - iii. DD जारी करने का दिनांक - ....
    - iv. जारीकर्ता का नाम - ....
13. अनुभव एवं दस्तावेजी साक्ष्य - ....
14. अन्य कोई जानकारी - ....
15. निविदाकर्ता की घोषणा - ....

    मैं/हम यह प्रमाणित करता/करते है कि इस निविदा को हस्ताक्षर करने के पूर्व इसके नियम एवं शर्तों को भलीभांती पढ़कर एवं समझकर उसे पालन करने को प्रतिबद्ध हैं ।

(निविदाकर्ता का हस्ताक्षर)
नाम एवं पता
(मोहर के साथ)